IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 21, Issue 02, Ver. 8 (Feb. 2016) 57-60
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

महिला सशक्तीकरण एवं सामाजिक परिवर्त्तन

डॉ रचना प्रसाद
रीडर, समाजशास्त्र विभाग, विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय, गाजियाबाद
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

नर और नारी विधाता की दो अद्भुत देन है दोनों के सम्मिलित विकास से ही सामाजिक परिवर्तन सम्भव है नारी को सशक्त होने पर ही सही अर्थ में सामाजिक विकास अपेक्षित हैं, सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत भी है एवं सामाजिक भी यह प्रक्रिया सहयोग पर आधारित है यह लोगो में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति का संचार करती है सशक्तिकरण की प्रक्रिया के अभिक अंग के रूप में शक्ति संरचना पर नियंत्रण करना, सहभागिता तथा विकास की दिशा को प्रभावित करना, अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, विश्लेशणात्मक योग्यता, जागरूकता में बढ़ोतरी, गतिशीलता में बढ़ोतरी तथा समुदाय के बीच अपनी एक स्पष्ट पहचाना बनाना माना जाता है। सशक्तिकरण महिला में अशिलता, आत्मविश्वास, अनुकुल स्वदृष्टिकोण तथा जागरूकता का संचार करती है जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी संभव हो तथा विश्लेषणात्मक योग्यता द्वारा विकास की दिशा को न केवल निर्यान्त्रत कर सके बल्कि उसकी दिशा को अपने हित में मोड़ने की क्षमता रख सके।

सशक्तिकरण एक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने जीवन पर चेतना के विकास द्वारा नियन्त्रण रखते है अर्थात् सशक्तिकरण बदलाव को सुगम बनाता है और व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुरूप सुगम बनाता है आधी आबादी के सर्वागिण विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणिक और राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति (2011) को घोषणा की ताकि सामूहिक एवं सुनियोजित प्रयास से महिलाओं को सशक्तिकरण का समुचित अवसर उपलब्ध हो सके।

सशत्तिकरण एक सम्पूर्ण एवं समग्र अवधारण है डा0 सचिदानन्द का कहना है कि सशक्तिकरण के वयाख्या के क्रम में चार पहलुओं यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोर्वज्ञातिनक सशक्तिकरण को ध्यान में रखना आवश्यक है चारो पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं एवं एक दूसरे को प्रभावति करते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक सशक्तिकरण का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रबल माध्यम माना गया है। राजनीतिक शक्ति से सम्पन्न महिलाएँ अन्य महिलाओं की अपेक्षा समाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रबल सहायक की भूमिका निभाती है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं की सोच में बदलाव, आत्मविश्वास की क्षमता में बृद्धि तथा दैनिक जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग प्रशास्त करती हैं।

शक्ति का पुनार्वेतरण ही सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है सशक्तिकरण की प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है कि समाज का वैसा वर्ग जो विकास के उपयुक्त अवसर से वंचित है उस वर्ग के सदस्यों की क्षमता को विकसित करना तथा उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना है। समतामुलक समाज के निर्माण और विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सशक्तिकरण की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि जब तक आधी आबादी को अपेक्षित लाभ उपलब्ध नहीं होता तब तक समतामूलक समाज का सपना साकार होना संभव नहीं हैं। जिस समाज में विदया की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी काली और दुर्गा की पूजा की जाती रही है वहाँ की महिलाएँ परमपरावादी, सामान्ती मानसिकता के कारण अशिक्षा, भुखमरी,कुपोषण, मनोवैज्ञानिक हीनता का शिकार हो रही है।

महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक्त विषय है जो कि सामाजिक न्याय, समानता एवं समेकित सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलयों की सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्तर पर सशक्त करना है सशक्तिकरण का आशय केवल शथ्कत का अधिग्रहण नहीं है बरन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं मे इतनी जागरूकता उत्पन्न किये जाने से स्वाबलम्बी बनकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साधन पर नियऩ्त्रण प्राप्त सके और समाज में परिवर्तन ला सके।

सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है मध्यकालीन समाज प्राचीन काल से और आधुनिक समाज मध्यकालीन समाज से तुलनात्मक रूप से विश्व स्तर पर काफी भिन्न है। इसकी गति कभी समान नहीं है। एंथोनी गिडेन्स का कहना है कि लगभग 18 वी शदी में सामाजिक परिवर्तन की गति मानव के इतिहास में सर्वाधिक तेज रही। 20वीं शदी के उत्तरार्ध में समाजिक परिवर्तन की गति कुछ और तेज हो गयी। विज्ञान और प्रोधोगिकी की तरक्की ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज करने में यह महत्वपूर्ण योगदान किया है।

डेविस सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज की संरचना एवं प्रकार्य में परिवर्तन है वही पर डंबहअमत–च्ंहम ने सम्बन्ध में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक, परिवर्तन माना है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक,

भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है यह सर्वकालिक धरना है यह किसी न किसी रूप में हमेंशा चलने वाली प्रक्रिया है।

भारत में हुए युग एवं काल में महिलाओं की स्थिति एवं दशा परिवर्तन होती रही है वैदिक का साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि नारी को समाज एवं परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ शिक्षा कला कौशल एवं युद्ध विदया की दृष्टि से भी पुरूषो के समान थी महिला एवं पुरूष में भेद नही था। ऋग्वेद की रचना में योगदान करनेवाली रेशमा, अपाला, शिश्वबारा आदि प्रसिद्ध महिला थी। अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ में उसकी उपस्थिति आवश्यक थी। यदुवेद के अनुसार नारी को उपनयन संस्कार का आधिकर था। वेदकालीन समाज में पितृसत्तात्मक होने से पुत्र को पुत्री से वरीयता दी गई परन्तु पुत्रीका तिरस्कार नही होता था। विवाहित स्त्रियाँ स्त्रीधन इच्छानुसार खर्च कर सकती थी।

उत्तरवैदिक काल में नारी की स्थिति अवनाते की ओर बाड़नर के प्रमाण मिलते है इस काल में वें परतंत्र, अपराधीन निस्सहाय व निर्बल बन चुकी थी। भोग विलास की सामग्री समझी जाने लगी। इस कारण धर्मसूत्रों ने बाल विवाह का निर्देश दिया जिससे शिक्षा में बाधा पहुँचे। उसके लिए वेद का अध्ययन बंद कर दिया गया एवं विधवा नुनर्विवाह का निषेध कर दिया गया। महिला अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनने लगी। सम्पति के आधिकार से वंचित कर दिया गया। मनुस्मृति के अनुसार नारी कभी स्वतन्त्र रहने योग्य नही। वह बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के वश में तथा बृद्धावस्था में पुत्र के नियन्त्रण मे रहे। इस काल से भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान नीचे हो गया वैसे मनु ने यह भी लिखा कि 'यत्र नार्थास्तु पूजयन्ते रमन्ते तंत्र देवता'

फिर भी महिला अपने आप को निर्वल समझने लगी। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में भी महिला सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओ से ग्रस्त थी। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा पुरूषों पर निर्भरत, विधवा विवाह निषेध इत्यादि अनेक कारण महिलाओं की हीन दशा के लिए उत्तरदायी थी। भारत में महिला की दशा सुधारने एवं महिला सशक्तिकरण की शुरूआत 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन से मानी जा सकती है। जिसके अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। इन्ही के प्रयास के परिणापस्वरूप 1829 में सती प्रथा के विरूद्ध कानून पारित हुआ ततपश्चात ईश्वरचन्द्र विदयासागर के प्रयास से 1856 में 'हिन्दूविधवापुर्नविवाह' को कानूनी अनुमति प्राप्त हुई। 1872 में केशवप्रसाद सेन के प्रयास से 'नैक्ति मैरिज एक्ट' पास हुआ जिसमें बहु विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया और बाल विवा निषेध एवं अन्तजातीय विवाह को मान्यता दी गई।

1875 तक कलकत्ता मद्रास, मुम्बई विश्वविद्यालय में लड़कीयों के प्रवेश पर रोक था। अमेरिका में 8 मार्च 1875 की न्यूमार्क के सिलाइ और वस्त्र उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं 10 घंटे कार्यदिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी इस कारण इस दिवस को अन्तारष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1859 में सेंट पीट्स वर्ग (सोवियतसंघ) में महिला मुक्ति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। 1859 में ही अमेरिका में राष्ट्रीय महिला माताधिकार संगठन तथा 1882 में फ्रांस में महिला अधिकार संगठल की स्थापना की गई। संविधान में पहली बार मत देने का अधिकार न्यूजीलैण्ड में 1893, नार्वे 1913, फ्रांस में 1936, इटली में 1945 को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 'अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन' ने महिला को पुरूष के समान वेतन दिलाने हेतु समान श्रम के लिए समान वेतन सम्बन्धी प्रस्ताव सन 1952 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारो का प्रस्ताव पारित किया। 1975 में कोपेन हेगन में पहला 1985 में जैराबी में दूसरा तथा 1995 में शंधाइ में तीसरा महिला सम्मेलन आयोजित किया गया इस सबसे विश्वस्तर पर महिला सशक्तिकरण को बल मिला।

राष्ट्रीय आन्दोलन के गाँधी युग में महात्मा गाँधी ने भारतीय नारी को आहवान कर नारी के भीतर की सोयी शक्ति कों जगाकर शिक्षित, आशिक्षित सभी स्त्रियो को साथ–साथ चलने और पुरूष को कंधे से कंधा मिलाकर स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरित किया। गाँधी। ने 1920 में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आन्दोलन में हजारो उच्च व मध्यमवर्गीय शिक्षत आशिक्षित महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया इन आंदोलन के कारण सरोजिनी नायडू, उमा कुदापुर, नंदुबेन, मनीबेन पटेल ने राष्ट्रीय स्त्री सभा का आह्वान किया। यह पहला संगठन था जिसका उद्देश्य स्वराज एवं महिला उत्थान था।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एवं समन्वित प्रयास स्वतंत्रता बाद ही किये गये है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि लैंगिक असमानता चाहे वह समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है इसी कारण भारतीय संविधन में महिला अधिकार एवं समानता हेतु विशेष प्रावधान किये गये जिससे उसे सशक्त किया जा सके एवं समाज मे अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदत्त सभी विशेष प्रावधानों के अतिरिक्त उसके सुरक्षात्मक प्रवधान करने के लिए विशेष अधिनियमो की व्यवस्था भी की गई जैसे बाल विवाह अधिनियम 1976 वेश्यावृति निवारण अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2006, सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम आदि प्रमुख है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला स्थिति व समस्या पर एक समिति ˆजंजने वˆवउमद पद प्दकपं गठित की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि सरकारी नीतियाँ कार्यक्रम और योजनाबद्ध विकास के बाबजूद सभी महात्वपूर्ण क्षेत्र में

महिलाएँ पिछड़ी हुई है। सम्पत्ति एवं आर्थिक अधिकार से वंचित है तथा हर स्तर पर लैगिक भेद भाव व उपेक्षा, हिंसा के शिकार है। अतः भारत में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में सुधार के लिए सम्मिलित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गय। 1975 अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। 1985 में महिला एवं बाल विकास का गठन किया गया। डवाकारा योजना (1982) का उद्देश्य ग्रामीण महिला को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और अनुदान देकर स्वाबलम्बी बनाने के लिए न्यू मॉडल चर्खा योजना (1987), महिला को आर्थिक गतिविधि में संलग्न करने हेतु नौराल्ड प्रशिक्षण योजना (1989), ग्रामीण क्षेत्र में महिला की समानता एवं सजगता के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था के लिए महिला समस्या योजना(1989) आदि महिला को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण एवं स्वाबलम्बी बनाकर सशक्त करने का प्रयास है।

विश्व में 1990 से 2000 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया गया। वर्ष 2001 को भारत में महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। 1990 में महिला आयोग की स्थापना, 1996 में राष्ट्रीय महिला नीति की घोषणा, 1997 में सेक्सुअल हटेसमेंट रोकने के निर्देश, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, किशोरी बालिका योजना 1992, महिला समृद्धि योजना 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994, स्त्री–शक्ति पुरस्कार योजना 2000 प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से महिला को सशक्त करने के प्रयास किये गये है।

महिला सशकतीकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक व संवेधानिक प्रयास से महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है वह पुरूष के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भाग ले रही है। महिला की शिक्षा में वृद्धि हो रही है त्रिस्तरीय स्तर पर 33ः आरक्षण देने के कारण महिला की राजनीति में भागीदारी हो रही है परन्तु सामान्यतः पार्षद या महिला सरपंच के सभी अधिकार व शक्ति का प्रयोग किसी न किसी रूप में पिता, पति या पुत्र द्वारा किया जाता है।

गेल ओमेवेट का कथन है कि यह राजनीति महिला शक्ति का संगठित नहीं करती बल्कि अपने यंत्र के पोषण के लिए इसका उपयोग करती है और काम निकल जाने के बाद निष्क्रिय छोड़ दी जाती दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण के प्रयास केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित हैं जबकि वास्तविकात में आज भी अधिकांश महिला को गणना उपेक्षित, शोषित व कमजोर वर्ग के रूप में की जाती है आज भी महिला किसी न सिकी रूप से उत्पड़ीन, शोशण का शिकार हो रही है जैसे जबरदस्ती गर्भधारण, गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मार पीट मानसिक उत्पीड़नर, कन्या भ्रूण हत्या, माता पिता द्वारा खान पान में भेदभाव, किशारो में अशिक्षा, बेमेल विवाह यौन शोशण, भूसभूत सुविधा का अभाव, अपहरण, छेड़छाड़ दहेज, विवाह उपरान्त मारपीट, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा वृद्धावस्था मे परिवारिक उपेक्षि व तिरस्कार आदि प्रमुख है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून के विदयमान होते हुए भी महिलाओं के प्रति अपराध में कोइ कमी नही आ रही है। बल्कि अपराध की संख्या में बृद्धि हो रही है। बलात्कार के विरूद्ध कानून पारित हुए पर बलात्कार में वृद्धि हो रही है। बलात्कार की घटनाघट जाने पर विभिन्न राजनीति दल, संगठन, समाचार पत्र, इलेक्ट्रोनिक मिडिया द्वारा कुछ समय के लिए घटना की मर्त्सना की जाती है, उस पर चर्चा की जाती और फिर मामला शान्त हो जाता है समाज में घटित होने वाले इस तरह के मामले बहुत कम पुलिस में दज्र हो पाते है या दोषियों को सजा मिल पती है। कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि देखी जाती है शिक्षित अशिक्षित दोनों तरह के महिलाओं में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृति देखी जाती है। देश में शोषणएक सामान्य घटना हो गयी है। बहुत स्त्रियाँ अभी भी शिक्षा, राजगार समानता व सम्पत्ति के अधिकार से वंचित है मुस्लिम समाज में इसके अलावा पर्दा प्रथा, बहुपरनी प्रथा प्रचलित है।

आर्थिक क्षेत्र में सर्वेक्षण के अनुसार पूरे विश्व में महिलाओं के आर्थिक अधिकरों पर अपेक्षित ध्यान नही दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला को मूलभूत अधिकार व सुविधा से वंचित रह जाना पड़ता है महिलाओं के लिए एक औधेगिक रोजगाार घर पर भी होता है जहाँ प्रतिदिन कार्यक्षेत्र पर जाने से पहले तथा आने के बाद क समय उन्हे लगाना पड़ता हैं जिससे वह दोहरी भूमिका से ग्रस्त रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयास से लड़कियों की भागीदारी बढ़ी हैं परन्तु वह गणणात्मक शिक्षा को बढावा देता है जहाँ डिग्री प्राप्त करनी ही शिक्षा का आधार है ज्ञान नहीं। जिससे महिला की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नही हो पाता है।

अतः महिला सशक्तीकरण के लिए किये गये स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय प्रयास प्रभावशाली पूर्ण रूप से नही हो रहे है विभिन्न स्तरो पर महिलाओं के लिए दिये जाने वाले अधिकार, सुविधा, नारी, मुक्ति प्रयास, विभिन्न आन्दोलन एवं संगठन कर मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता हैं कि उनके पारंपरिक आदर्श, सामाजीकरण उनको सशक्त करने में बाधा डालती है।

सशक्तीकरण एक प्रक्रिया हैं जिसके माध्म से जागरूकता, कार्यशीलता, प्रयास के द्वारा महिलाएँ अपने विषय में निर्णय लेने में समर्थ हो पाती है दूसरे शब्दों मे सशक्तिकरण एक अनुभूति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को मानसिक उर्जा मिलती है और जिससे मानव अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सफल होता है अतः महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्त्ति में शिक्षा औषधि के रूप में कार्य करती है।

सच्ची शिक्षा एवं जागरूकता के फलस्वरूप महिला अपने अधिकार का बोधात्मक उपयोग कर सकती है। साक्षरता व शिक्षा हेतु लाये गये अभिमान से महिलाओं मे जागरूकता व गत्यात्मक प्रेरणा उपल्बध हुई है। शैक्षणिक

जागरूकता के कारण महिला के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया हैं अब महिला कार्यक्रम को विन्दु महिला कल्याण के लिए एक दूसरे पर आश्रित नही बल्कि समर्थ होना है इसके लिए उचित शिक्षा के आधार पर समर्थवान होना है। शिक्षा के माध्यम से ''सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण सुविधा महिला सशक्तिरण का औजार बन सकता है। जब महिला में कौशल उद्दीम की क्षमता हो तो महिला में दक्षता में अपेक्षित सुधार संभव है जो सशक्तीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। शिक्षा वह यन्त्र है जिससे स्वास्थ्य शिक्षा तथा संस्कृति के बारे मे जानकारी मिल सकतील है भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में आधिकांश महिला सशक्तीकरण के पक्ष में नहीं हैं धर्म, जाति वह पितृसत्तात्मक समाज पर आधारित परम्परागत समाज में निहित आसमानमता ने भी सामाजिक, आर्थक राजनीतिक क्षेत्र में महिला को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है समाज की सम्पूर्ण साच दृष्टिकोण तथा इसमें प्रचलित पूर्वाग्रहो में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने पर ही महिला सशक्तीकरण सही अर्थ परिवर्तन लाने पर ही महिला सशक्तीकरण सही अर्थ में संभव है। किसी भी समाज की स्थिति उस समाज की महिलाओं की दशा देखकर त्रात की जा सकती है प्राचीन समाज से आधनिक सताज तक महिलाओं की स्थिति में उतार चढाव आते हैं। परिवर्तन के क्रम में महिलाएँ अब आवला नहीं सबला है, सक्षम अपने अधिकारों के प्रति सजग, सतके एवं समर्थ है वस्तुतः महिला सशक्तीकरण के पथ पर अग्रसर है अतः महिला सशक्तीकरण सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है। जीवन को नियन्त्रित करने का अधिकार एवं समाज में परिवर्तन लोन की क्षमतामहिला सशक्तीकरण है। महिला सशक्तीकरण का अर्थ है, अधिकांश महिला में आत्म सम्मान, आत्म विश्वास व आत्मनिर्भता जगाना है। जिससे समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. बिहो केत सी (1997) Empowerment of women at the grass roots, kanishka prakashan new Delhi.
2. मजुमदार वीणा (1989) 'रिजर्वेशन फार वीमेन', इकानौमिक एण्ड पालिरिकत वीसकी 1989
3. शर्मा प्रज्ञा (2000) 'भारतीय समाज में नारी' पोइन्अर पब्लिकेश्रानस जयपुर 2006
4. शर्मा प्रज्ञा (2006) ' महिला विकास और सशक्तिकरण' अविस्कार पब्लिकेशषन जयपुर
5. कुमार ईश्वरचन्द्र (20120) महिला सशक्तिकरण के सपने : कितने पूने, कितने अधूरेद्व पुस्तक भवन, नई दिल्ली
6. दास वीणा (1992) 'वीमेन एण्ड पंचायती राज, नई दिल्ली
7. विप्लव (2013) महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम' राहुलस पब्लिशिंस हाउस, मेरठ
8. सिंह जे. पी. (200) सामाजिक परिवर्तन : स्वरूप एवं सिद्धान्त, प्रिंटवेल आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

9. शर्मा, प्रेमनारायण झा, संजीव कुमर, विनायक सुषमा (2008) महिला सशक्तीकरण (0) एवं समग्र विकास भारत बुक सेन्टर, लखनऊ.